

अनुदान संख्या 30 – व्यय विभाग
GRANT No. 30 - DEPARTMENT OF EXPENDITURE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	480,00,00	482,00,00	224,47,38	-257,52,62
पूरक	Supplementary	2,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				252,85,68

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, कुल बचतें (₹25752.62 लाख) जुलाई, 2017 में प्राप्त किए गए ₹200.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 53 प्रतिशत थीं।

1. In the grant, the overall savings (₹25752.62 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹200.00 lakhs obtained in July, 2017 and constituted 53 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

Savings/excess occurred under the following major heads:-

					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय— सामान्य सेवाएं	Secretariat- General Services				
मू.	O.	11339.00	11305.33	11260.39	-44.94
पू.	S.	200.00			
पु.	R.	-233.67			

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	6661.00	4648.87	4639.15	-9.72
पु.	R.	-2012.13			
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	30000.00	6960.12	6547.84	-412.28
पु.	R.	-23039.88			

(I) ₹142.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹140.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2070" – "प्रशिक्षण – राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन सोसाइटी संस्थान को सहायता अनुदान" के अंतर्गत स्थापना संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹142.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads; of these ₹140.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2070" - "Training - Grants-in-aid to National Institute of Financial Management Society" - due to availability of internal resources for meeting establishment expenses.

(II) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – व्यय विभाग" के अंतर्गत ₹11339.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹200.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹11539.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹278.61 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – वेतन संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने एवं नॉर्थ ब्लॉक के नवीनीकरण से संबंधित दावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2052"- "Secretariat - Department of Expenditure"- the original provision of ₹11339.00 lakhs was augmented to ₹11539.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹200.00 lakhs. However, there was a saving of ₹278.61 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards salaries and non-finalization of claims pertaining to renovation work of North Block.

(III) मुख्य शीर्ष "2070" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2070" - savings occurred under the following heads:-

(का) “प्रशिक्षण – विशेष श्रेणी राज्यों से अधिकारियों को वित्तीय प्रबंधन में प्रशिक्षण” के अंतर्गत ₹549.55 लाख की बचत (₹1460.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सार्वजनिक अधिप्राप्ति पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम में कम भागीदारी होने के कारण हुई।

(खा) “अन्य व्यय – एनपीएस के लिए एनएसडीएल को सेवाप्रभार” – ₹1361.00 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को रिकार्ड कीपिंग प्रभार के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “3475” – “अन्य व्यय – लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली” के अंतर्गत ₹23452.16 लाख की बचत (₹30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, कम परामर्शदाताओं को रखे जाने, राज्य/जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयों के लिए साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की खरीद को मूर्त रूप न दिए जाने तथा आईटी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(A) “Training - Training in Financial Management to Officers from Special Category States” -saving of ₹549.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1460.00 lakhs) was due to less participation in Management Development Programme on Public Procurement.

(B) “Other Expenditure - Service charges to NSDL for NPS” -saving of ₹1361.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards recordkeeping charges to National Securities Depository Limited.

(III) Under Major Head “3475” - “Other Expenditure - Public Financial Management System”- saving of ₹23452.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, hiring of less consultants, non-materialization of purchase of Software and Hardware for State/District Project Management Units and non-finalisation of IT Training Programmes.